उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1976)

UTTAR PRADESH REGULATION OF COLD STORAGES ACT, 1976

(U.P. Act No. XI of 1976)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 11, 1976]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1983

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 02, 1997

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 6 अप्रैल, 1976 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 7 अप्रैल, 1976 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी (असाधारण) गजट में दिनांक 19 अप्रैल, 1976 को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेजों को लाइसेंस देने, उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:——

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 20 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

परिभाषायें

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में ——

(क) "कृषि उत्पाद" के अन्तर्गत कृषि या उद्यान के उत्पाद, पशुपालन या मत्स्य संवर्धन और ऐसे समस्त खाद्य या पेय पदार्थ है जो पूर्णतया या अंशतया इनमें से किसी से निमित्त हों ;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित कोल्ड स्टोरेज सलाहकार बोर्ड से है ;

(ग) "कोल्ड स्टोरेज" का तात्पर्य ऐसे परिबद्ध कक्ष से है जो इन्सुलेटेड हो और रेफ्रीजरेशन मशीनरी द्वारा यांत्रिक रूप से शीतित हो जिससे वहां पर स्टोर किए हुए कृषि उत्पाद को रेफ्रीजरेशन की अवस्था उपलब्ध हो सके, किन्तु इसके अन्तर्गत वे रेफ्रीजरेशन कैबिनेट तथा शीतकारी संयंत्र (चिलिंग प्लान्ट्स) नहीं है जिनकी क्षमता 100 घन मीटर से न्यून हो ;

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए सरकारी असाधारण गजट, दिनांक 8 अप्रैल, 1976 देखिए ।

(घ) "किरायादाता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिये प्रभार देकर स्थान किराये पर ले ;

(ङ) "लाइसेंस" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेंस से है ;

(च) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रदान किया जाय ;

(छ) "लाइसेंस अधिकारी" का तात्पर्य उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश से है, और धारा 17 के स्पष्टीकरण के सिवाय इसके अन्तर्गत उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक द्वारा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस अधिकारी की किसी या सभी शक्ति का प्रयोग करने के लिये सशक्त निम्नलिखित अधिकारी भी है :––

(1) उद्यान विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो जिला उद्यान अधिकारी के पद से नीचे का न हो ;

(2) राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो परगना अधिकारी के पद से नीचे का न हो ;

(ज) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(झ) "रसीद" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसधारी द्वारा दी गई कोल्ड स्टोरेज की रसीद से है और इसके अन्तर्गत रसीद की दूसरी प्रति भी है ;

(ञ) "अधिकरण" का तात्पर्य धारा 35 के अधीन गठित अधिकरण से है ।

अध्याय 2

कोल्ड स्टोरेज सलाहकार बोर्ड

बोर्ड का गठन

3–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक कोल्ड स्टोरेज सलाहाकार बोर्ड गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :––

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जो बोर्ड का सभापति होगा ;

(ख) भारत सरकार के कृषि मण्डी सलाहकार का एक प्रतिनिधि ;

(ग) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश ;

(घ) निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश ;

(ङ) मण्डी निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ; और

(च) उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश जो सचिव का भी कार्य करेगा।

बोर्ड के कर्त्तव्य और कृत्य

4–(1) बोर्ड निम्नलिखित कर्त्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करेगा :––

(क) कोल्ड स्टोरेजों को लाइसेंस देने से संबंधित नीति–विषयक मामलों और उससे सम्बद्ध विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ख) कोल्ड स्टोरेजों के वैज्ञानिक नियोजन, अनुरक्षण, विकास और विस्तार के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देना और राज्य मे कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के समन्वय के लिये उचित कार्यवाही का सुझाव देना ;

(ग) कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिये समय–समय पर अधिकतम प्रभार नियत करने के विषय में, राज्य सरकार को सलाह देना ; और

(घ) राज्य सरकार को ऐसे अन्य विषयों पर, जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को निर्दिष्ट किये जाएं, या जो विहित किये जाएं, सलाह देना ।

(2) बोर्ड का कार्य विहित रीति से संचालित किया जायगा ।

अध्याय 3

कोल्ड स्टोरेज को लाइसेंस देना

कोल्ड स्टोरेज का कारबार करने पर निर्बन्धन

5–ऐसे दिनांक को और उसके पश्चात् जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त नियत करे, कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेंस की शर्तो और निबन्धनों के अधीन और अनुसरण के सिवाय, कोल्ड स्टोरेज में किसी कृषि उत्पाद को स्टोर करने का कारबार नहीं करेगा ।

लाइसेंस के लिये आवेदन–पत्र

6–(1) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र लाइसेंस अधिकारी को विहित प्रपत्र में और विहित फीस के साथ दिया जायगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेंस नहीं दिया जायगा यदि लाइसेंस अधिकारी को यह प्रतीत हो कि ––

(क) कोल्ड स्टोरेज विहित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है ;

(ख) कोल्ड स्टोरेज उस वर्ग के माल को स्टोर करने के उपयुक्त नहीं है जिसके लिए यह आशयित है ;

(ग) आवेदन–पत्र के साथ विहित फीस नहीं है ;

(घ) आवेदक किसी कपट या दुर्व्यपदेशन का दोषी है ;

(ङ) आवेदक, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है ।

लाइसेंस की अवधि और नवीकरण

7–(1) धारा 6 के अधीन प्रदत्त लाइसेंस विहित अवधि के लिये, विधिमान्य होगा, और उस निमित्त आवेदन–पत्र और विहित फीस के देने पर लाइसेंस अधिकारी द्वारा, समय–समय पर, अग्रेतर विहित अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकता है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेंस नवीकृत नहीं किया जायगा, यदि लाइसेंस अधिकारी को यह प्रतीत हो कि ––

(क) धारा 6 की उपधारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई कारण विद्यमान है;

(ख) लाइसेंसधारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने का दोषी है ;

(ग) आवेदन–पत्र से धारा 44 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन होता है ।

लाइसेंस का निलम्बन और रद्द किया जाना

8–(1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेंस निलम्बित या रद्द किया जा सकता है, यदि लाइसेस अधिकारी को यह प्रतीत हो कि ––

(क) धारा 7 की उपधारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई कारण विद्यमान है;

(ख) लाइसेंसधारी ने कोल्ड स्टोरेज के कब्जा या नियंत्रण को पूर्णतः या अंशतः अन्तरित कर दिया है या उसने उसको चलाना बन्द कर दिया है ।

(2) जहां कोई लाइसेंस निलम्बित या रद्द किया जाय वहां लाइसेंसधारी न तो उसके लिए किसी प्रतिकर का हकदार होगा, न लाइसेंस के लिये अपने द्वारा दी गयी किसी फीस को वापस पाने का हकदार होगा ।

नया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये अनुज्ञा

9–(1) कोई व्यक्ति कोई नया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये लाइसेंस अधिकारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना उसे नहीं बनायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में और विहित फीस के साथ लाइसेंस अधिकारी को दिया जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देते समय लाइसेंस अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा ––

(क) जिस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज बनाने की मांग है, उस जेल में परिचालित कोल्ड स्टोरेजों की संख्या ;

(ख) ऐसे क्षेत्र में कृषि उत्पाद की उपलब्धता ;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किए जायं ।

(4) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देते समय लाइसेंस अधिकारी ऐसी शर्ते आरोपित कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

आदेश में कारण दिये जायेंगे

10–(1) धारा 6 के अधीन लाइसेंस देने से इंकार करने या धारा 7 के अधीन लाइसेंस के नवीकरण से इंकार करने या धारा 8 के अधीन लाइसेंस निलंम्बित या रद्द करने या धारा 9 के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार करने का प्रत्येक आदेश लिखित होगा और उसमें उसके समर्थन में कारण दिए जाएगें ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश देने के पूर्व लाईसेंस अधिकारी, यथास्थिति, आवेदक, या लाइसेंसधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा :

परन्तु जब लोक हित में तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो तब लाइसेंस अधिकारी, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इस धारा के अधीन किसी नोटिस के बिना कोई लाइसेंस निलम्बित कर सकता है ।

लाइसेंस की दूसरी प्रति

11–जहां कोई लाइसेंस खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्यथा अपठनीय हो जाय वहां लाइसेंस अधिकारी विहित रीति से और विहित फीस देने पर लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी कर सकता है ।

अध्याय 4

लाइसेंसधारी के अधिकार और कर्तव्य

जमा किए गए माल की युक्तियुक्त देखभाल

12–प्रत्येक लाइसेंसधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए गए माल की देखभाल उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार कि सामान्य वृद्धि का व्यक्ति समान परिस्थितियों और दशाओं में अपने माल की देखभाल करता है ।

कोल्ड स्टोरेज की क्षमता प्रदर्शित करने का कर्त्तव्य

13–प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रतिदिन अपना कारोबार प्रारम्भ करने के पूर्व, कोल्ड स्टोरेज के प्रवेश द्वार पर या उसके निकट कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा :––

(क) कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनो में) ;

(ख) वस्तुतः अध्यासित क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनो में) ;

(ग) रिक्त क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनो में) ।

जमा करने के लिए माल स्वीकार करना

14–(1) कोई लाइसेसधारी, स्टोर करने के लिए, कृषि उत्पाद ग्रहण नहीं करेगा जिससे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए गए या किये जाने वाले अन्य कृषि उत्पाद को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो, और यदि यह प्रश्न उठे कि कोई कृषि उत्पाद ऐसा है कि उससे उपर्युक्त प्रकार की क्षति होने की सम्भावना है तो वह लाइसेंस अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु लाइसेंसधारी, यथास्थिति, उद्यान विभाग के राजपत्रित अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में और रीति से इस प्रकार प्रमाणित वास्तविक कृषकों के आलू के बीज को इस आधार पर स्टोर करने से इन्कार नहीं करेगा कि इससे अन्य कृषि उत्पाद को क्षति पहुंचने की सम्भावना है ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई लाइसेंसधारी विधिपूर्ण कारण के बिना अपने कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को ग्रहण करने से इन्कार नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण––इस धारा के अर्थान्तर्गत किसी कृषि उत्पाद को ग्रहण करने से इस आधार पर इन्कार करना विधिपूर्ण कारण नहीं समझा जायगा कि यद्यपि परिबद्ध कक्ष रिक्त है किन्तु किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सुरक्षित है ।

माल की पहचान का परिरक्षण

15–प्रत्येक लाइसेंसधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में प्रत्येक किराया दाता के कृषि उत्पाद को अन्य किरायादाता के ऐसे उत्पाद से तथा उसी किरायादाता के अन्य उत्पाद से जिसके लिए पृथक रसीद दी गई हो, अलग रखेगा जिससे कि जमा माल सभी समय पर पहचाना जा सके और उसे सुगमतापूर्वक दिया जा सके :

परन्तु जहां कोल्ड स्टोरेज मे मानकीकृत और श्रेणीकृत माल स्टोर किए जांए वहां एक या विभिन्न किरायादाता का एक ही प्रकार का माल, किसी प्रतिकूल संविदा के अधीन रहते हुए, एक साथ रखा जा सकता है और उसमें से प्रत्येक किरायादाता, यथास्थिति, तौल या परिमाण के अनुसार जैसा उसकी रसीद में उल्लिखित हो, धारा 17 के स्पष्टीकरण के अधीन निश्चित सीमा तक सूखा या संकुचन को कम करते हुए, केवल अपना भाग पाने का हकदार होगा ।

लाइसेंसधारी किरायादाता को माल का निरीक्षण करने की सुविधा देगा

16–प्रत्येक लाइसेंसधारी ऐसे समय में, जैसा लाइसेंस अधिकारी आदेश द्वारा निर्देश दें, किसी किरायादाता या उसके नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति को अपने माल का निरीक्षण करने और अपना यह समाधान करने की सुविधा देगा कि उसके माल की उचित देखभाल की जाती है ।

कोल्ड स्टोरेज में माल खराब होना और उसका निस्तारण

17–(1) जब कभी किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल ऐसे कारण से जो लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे हो, खराब होने लगे या उसके खराब हो जाने की संभावना हो, या किरायादाता कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किये गये माल की रसीद मे उसके लिये विनिर्दिष्ट दिनांक से, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर न उठाये तो लाइसेंसधारी किरायादाता को तुरन्त उसका नोटिस देगा जिसमें उससे सम्यक् रूप से उन्मोचित रसीद अभ्यर्पित करने और लाइसेंसधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करने के पश्चात् माल को तुरन्त उठाने की अपेक्षा की जायगी, और ऐसे नोटिस की एक प्रति लाइसेंस अधिकारी को भेजेगा ।

(2) जहां किरायादाता उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का पालन उसे तामील किये जाने के दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर न करे वहां लाइसेंसधारी माल को कोल्डस्टोरेज से हटवा सकता है और उसे किरायादाता के खर्च और जोखिम पर सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिकवा सकता है :

परन्तु लाइसेंसधारी लाइसेन्स अधिकारी को ऐसी बिक्री की सूचना बिक्री के कम से कम अड़तालीस घन्टे पूर्व देगा, और लाइसेन्स अधिकारी ऐसी बिक्री का पर्यवेक्षण या तो स्वयं या अपने द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से करेगा ।

स्पष्टीकरण—सूखा या संकुचन द्वारा तोल या भार में कमी या नमी सोखने के कारण तौल या भार में वृद्धि को इस धारा के अर्थान्तर्गत खराब होना समझा जायगा, यदि उदत कमी या वृद्धि ऐसी सीमा से अधिक हो, जिसे लाइसेन्स अधिकारी समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके निश्चित करे ।

(3) यदि नमी सोखने या अन्य कारण से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद की तौल या भार अधिक हो जाय तो लाइसेन्सधारी ऐसे आधिक्य का हकदार न होगा ।

माल की दशा के सम्बन्ध में प्रज्ञापन

18–कोई व्यक्ति जिसका किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल में या ऐसे माल से सम्बन्धित किसी रसीद में कोई हित हो, लाइसेन्सधारी को इस तथ्य और अपने हित के स्वरूप से लिखित रूप से अवगत करा सकता है और लाइसेन्सधारी उसका अभिलेख रखेगा, और यदि ऐसा व्यक्ति लिखित रूप से यह निवेदन करे कि उसे माल की दशा के सम्बन्ध में प्रज्ञापन किया जाय और ऐसे प्रज्ञापन के लिये वह विहित प्रभार देने के लिये सहमत हो तो लाइसेन्सधारी उसे तदनुसार प्रज्ञाप करने के लिये बाध्य होगा।

माल का परिदान

19–(1) प्रत्येक लाइसेन्सधारी किरायादाता द्वारा या उसकी ओर से मांग किये जाने पर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल का परिदान करेगा, परन्तु किरायादाता रसीद अभ्यर्पित करे और लाइसेन्सधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करे ।

(2) लाइसेन्सधारी को इस प्रकार अभ्यर्पित प्रत्येक रसीद विरूपित कर दी जायेगी और पुनः जारी नहीं की जायगी ।

(3) पक्षकारों के मध्य किसी करार के अधीन रहते हुये, किरायादाता कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल का परिदान आंशिक रूप से ले सकता है, और प्रत्येक

ऐसे मामले में लाइसेन्सधारी रसीद पर उसका आवश्यक पृष्ठांकन करके उसे किरायादाता को लौटा देगा ।

लाइसेन्सधारी का स्वत्व

20–प्रत्येक लाइसेन्सधारी जिसका कब्जा अपने कोल्ड स्टोरेज में माल पर हो, उस समय तक उस पर कब्जा रखने का हकदार होगा जब तक कि धारा 19 के अनुसार उसकी रसीद अभ्यर्पित न कर दी जाय और आवश्यक प्रभार का सम्यक् भुगतान न कर दिया जाय ।

लाइसेन्सधारी कोल्ड स्टोरेज में रखे गये माल को किरायादाता के प्राधिकार के बिना न गिरवी रखेगा और न उसके सम्बन्ध मे कोई व्यवहार करेगा

21–कोई लाइसेन्सधारी किरायादाता के लिखित प्राधिकार के सिवाय कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये जाने के लिये प्राप्त माल की न तो गिरबी रखेगा और न किसी अन्य प्रकार से उसके सम्बन्ध में कोई व्यवहार करेगा ।

कियारादाता के उधार पर ब्याज की दर

22–यदि लाइसेन्सधारी कोल्ड स्टोरेज में किरायादाता द्वारा स्टोर किये गये किसी माल पर किसी किरायादाता को कोई धन उधार दे तो ब्याज की दर, किसी भी दशा में, उधार देते समय ऐसे ही प्रयोजनों के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने पक्ष में गिरवी रखे गये माल के सम्बन्ध मे ली जाने वाली चालू ब्याज की दर के अतिरिक्त एक प्रतिशत के आधे प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अधिक नहीं होगी ।

बीमा

23–प्रत्येक लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किये गये कृषि उत्पाद का आग, टूट–फूट (चाहे वह यांत्रिक या अन्य प्रकार का हो) या ऐसे ही अन्य कारण से होने वाली हानि या क्षति के लिये बीमा करायेगा ।

हानि, नाश आदि के लिए प्रतिकर

24–इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के सिवाय, लाइसेन्सधारी किरायादाता को अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल के सम्बन्ध में ऐसे लाइसेन्सधारी द्वारा की गयी उपेक्षा, अवचार या व्यतिक्रम के कारण हुई प्रत्येक हानि, नाश, क्षति, खराबी या माल के अपरिदान के लिये प्रतिकर का देनदार होगा ।

प्रतिकर सम्बन्धी विवाद लाइसेन्स अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा

25–(1) धारा 24 के अधीन लाइसेन्सधारी द्वारा देय प्रतिकर सम्बन्धी प्रत्येक विवाद लाइसेन्स अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायगा, और धारा 36 के अधीन अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन लाइसेन्स अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा ।

(2) जब लाइसेन्स अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) के अधीन लाइसेन्सधारी द्वारा देय किसी प्रतिकर का भुगतान उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक से या, यथास्थिति, धारा 36 के अधीन अधिकरण के विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर नहीं किया गया है तब वह कलेक्टर की वसूली का प्रमाण–पत्र जारी करेगा, और कलेक्टर वसूली के खर्च सहित ऐसे प्रतिकर की राशि को भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा और वसूल की गयी राशि का भुगतान, उसमें से खर्च काटने के पश्चात्, किरायादाता को करेगा ।

अतिरिक्त राशि की वसूली का प्रतिषेध

26–कोई लाइसेन्सधारी स्टोर करने या किरायादाता के प्रति की गई किसी अन्य सेवा के लिए, [1][धारा 29 के अधीन निश्चित प्रभार] के अतिरिक्त कोई राशि नहीं लेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1997 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

27–प्रत्येक लाइसेन्सधारी विहित प्रपत्र में और रीति से लेखा–बही और अभिलेख रखेगा। **लाइसेन्सधारी लेखा–बही रखेगा**

28–प्रत्येक लाइसेन्सधारी, इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस अधिकारी के ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए उसके द्वारा समय–समय पर जारी किये जाएं। **लाइसेन्स अधिकारी की निदेश जारी करने की शक्ति**

अध्याय 5

सेवा प्रभार

[1][**29–**(1) प्रत्येक लाइसेंसधारी समय–समय पर कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिए या उसके संबंध में की गयी किसी अन्य सेवा के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित करेगा और विभिन्न कृषि उत्पाद के लिए विभिन्न प्रभार निश्चित किये जा सकते है । **अधिकतम प्रभार**

(2) प्रत्येक लाइसेंसधारी उपधारा (1) के अधीन निश्चित प्रभार कोल्ड स्टोरेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर या उसके निकट प्रदर्शित करेगा और उसकी एक प्रति लाइसेंस अधिकारी के कार्यालय में भी देगा ।

(3) यदि राज्य सरकार की राय हो कि उपधारा (1) के अधीन किसी लाइसेंसधारी द्वारा निश्चित प्रभार अयुक्तियुक्त अधिक है तो उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे लाइसेंसधारी के सम्बन्ध में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निश्चित प्रभार उस वित्तीय वर्ष जिसमें वे निश्चित किये जायें, के शेष भाग के लिए प्रभावी होंगे ।]

30– [2][X X X X]

31–जहां [3][धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन प्रभार] किया गया हो, वहां राज्य सरकार धारा 29 में निर्दिष्ट प्रभार निश्चित करने के पूर्व उसकी आख्या पर विचार करेगी। **बोर्ड की आख्या पर विचार किया जाना**

अध्याय 6

कोल्ड स्टोरेज की रसीद

32–प्रत्येक लाइसेंसधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद के लिये विहित प्रपत्र में रसीद देगा । **रसीद देने का कर्त्तव्य**

33–धारा 32 में निर्दिष्ट रसीद, जब तक कि उसमें अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी और यथा समय उसका धारक उसमें विनिर्दिष्ट माल प्राप्त करने का हकदार होगा मानों वह मूल किरायादाता हो। **कोल्ड स्टोरेज की रसीद पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1997 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1997 की धारा 4 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1997 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

रसीद की दूसरी प्रति

34–यदि कोई रसीद खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय तो लाइसेन्सधारी किरायादाता द्वारा आवेदन–पत्र और विहित फीस देने पर, ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो विहित की जाय, रसीद की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

अध्याय 7

अधिकरण

अधिकरण का गठन

35–एक अधिकरण होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :––

(क) भारत सरकार का कृषि मण्डी सलाहकार, जो सभापति होगा ;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के विधि परामर्शी या उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट उनके विभाग का कोई अधिकारी जो संयुक्त विधि परामर्शी के पद से नीचे का न हो ;

(ग) सरकार के कृषि विभाग के सचिव या उनके द्वारा उस विभाग का नाम–निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो ।

अपील

36–धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेन्स देने से इन्कार करने या धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन उसका नवीकरण करने से इन्कार करने या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन उसे निलम्बित या रद्द करने, या धारा 9 के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार करने या धारा 14 की उपधारा (1) या धारा 25 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवाद के विनिश्चय विषयक लाइसेन्स अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकता है, और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

अध्याय 8

शास्तियां और प्रक्रिया

शास्ति

37–इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, आदेश या निदेश के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति सिद्ध–दोष होने पर कारावास से, जो दो वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनो से दण्डित किया जायगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

38–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कार्य–संचालन के लिये प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के लिए जाने का निवारण करने के लिये सब तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य

अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण——इस धारा के प्रयोजनों के लिए––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) "निदेशक" का तात्पर्य किसी फर्म के संबंध में, उस फर्म के भागीदार से है।

अपराध का संज्ञान

39–(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।

(2) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न वर्ग का कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

लाइसेन्स अधिकारी की शक्ति

40–लाइसेन्स अधिकारी––

(क) किसी लाइसेन्सधारी से ऐसी सूचना, जिसे वह लाइसेन्सधारी के स्वामित्व में या उसके द्वारा चलाये जाने वाले कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करें, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ;

(ख) अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा है, किसी कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश कर सकता है और उसका, उसकी मशीन तथा सज्जा, उसमें स्टोर किये गये माल, और उससे सम्बन्धित लेखा–बहियों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है, या उनका निरीक्षण करा सकता है ;

(ग) किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद के नमूने ले सकता है और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गयी किसी प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण, परीक्षण या जांच करा सकता है ।

सद्भावना से किए गये कार्य का संरक्षण

41–(1) किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य से हुई किसी क्षति के लिए या जिसके होने की सम्भावना हो राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

आदेशों के सम्बन्ध में अपवाद

42–इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अथवा इसके अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेंगी ।

अन्य अधिनियमितियों और लिखत से असंगत होते हुए भी अधिनियम और नियम आदि का प्रभाव

43–इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम का उपबन्ध प्रभावी होगा भले ही इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में, या किसी अन्य संविदा में, या किसी अन्य लिखत में, जिसका इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव हो, कोई असंगत बात हो ।

राज्य सरकार द्वारा निदेश

44–इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में लाइसेन्स अधिकारी नीति संबंधी विषयों पर राज्य सरकार के ऐसे निदेशों का पालन करेगा जिन्हें राज्य सरकार स्वयं या बोर्ड की सलाह से जारी करे ।

44–क– [1][X X X X]

नियम

45–(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस विहित करने के सम्बन्ध में कोई नियम भी है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो उसके एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशुन्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनो सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

निरसन और अपवाद

46–(1) उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 7, 1976

(2) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तद्नरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1997 की धारा 6 द्वारा निकाला गया ।